DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS दैनिक जागरण नई दिल्ली, 13 जून, 2023 DATED

जहां झुग्गी, वहीं मकान के तहत तैयार होंगे 4,475 फ्लैट

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

इन-सीटू स्लम पुनर्वास यानी 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' योजना के तहत दिल्ली में गरीबों को फ्लैट आवंटन की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी है। वजह, कालकाजी के बाद जेलोरवाला बाग के ईडब्ल्यूएस फ्लैट भी जुलाई तक बन जाएंगे। अति महत्वाकांक्षी कठपुतली कालोनी प्रोजेक्ट के फ्लैटों का निर्माण कार्य भी दिसंबर तक पूरा हो जाने की संभावना जताई जा रही है। जेलोरवाला बाग (1675 फ्लैट) और कठपुतली कालोनी प्रोजेक्ट (2800 फ्लैट) मिलाकर कुल 4475 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 10 कालोनियों में डीडीए 22,752

22,752 ईडब्ल्यूएस और फ्लैट
10 कालोनियों में बनाने की तैयारी

ईडब्ल्यूएस फ्लैट और बनाने जा रहा है।

विभिन्न आय वर्गों के लिए आवासीय योजनाएं लाने के साथ ही डीडीए स्लम पुनर्वास के तहत ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाने पर भी फोकस कर रहा है। इसी दिशा में कालकाजी में 3,024 फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। जेलोरवाला बाग के 1,675 फ्लैट पहले मार्च तक तैयार हो जाने की बात थी लेकिन जल बोर्ड के साथ विवाद के चलते इनका निर्माण कार्य थोड़ा विलंब हो गया है। डीडीए के मुताबिक अब यह निर्माण जुलाई के

कालकाजी एक्सटेंशन स्थित डीडीए फ्लैट • जागरण आर्काइव

आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है। ऐसे ही कई समय-सीमा पार कर चुके कठपुतली कालोनी प्रोजेक्ट में भी 2800 फ्लैट इसी वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएंगे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा दिलशाद गार्डन, शालीमार बाग, हैदरपुर एवं रोहिणी के सेक्टरों की 10 झुग्गी बस्तियों में भी जल्द ही ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण शुरू हो जाएगा। वहीं कालकाजी एक्सटेंशन, कुसुमपुर पहाड़ी और ओखला औद्योगिक क्षेत्र में आठ स्लम के लिए भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

इन-सीटू डेवलपमेंट के तहत स्लम क्लस्टरों में रहने वाले लोगों के लिए जहां वे झुग्गी में रहते हैं, वहीं पर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। ये फ्लैट पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) माडल के तहत डीडीए की देखरेख में बिल्डर बना रहे हैं। अपना व्यय निकालने के लिए बिल्डरों को उस क्षेत्र का कुछ हिस्सा व्यावसायिक उपयोग के लिए दिया जा रहा है।

कहां-कितने बनने हैं फ्लैट

झुग्गी बस्ती	फ्लैट
जिला केंद्र दिलशाद गार्डन	3367
शालीमार बाग-पीतमपुरा	1116
सूरज पार्क-खड़डा बस्ती, सेक्टर 18 रोहिणी	2566
बादली गांव, सेक्टर 19 रोहिणी	984
रोहिणी एक्सटेंशन-20, पूठ कलां	504
आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने, हैदरपुर	1800
मजदूर कल्याण कैंप, ओखला फेज एक-दो	670
इंदिरा कल्याण विहार, ओखला फेज एक	3500
कालकाजी नवजीवन कैंप-जवाहरलाल नेहरू कैंप	5437
कुसुमपुर पहाड़ी, वसंत विहार	2808

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 13 जून 2023

झुग्गियों के 1675 परिवारों को जुलाई में जेलरवाला बाग में मिलेंगे फ्लैट्स

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

डीडीए की 'जहां झुग्गी वहीं मकान' योजना के तहत जेलरवाला बाग में 1675 फ्लैट्स जुलाई के अंत तक तैयार हो जाएंगे। इसके बाद इसी साल दिसंबर तक कठपुतली कॉलोनी के भी 2800 फ्लैट्स बनकर तैयार हो जाएंगे।

डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार, अशोक विहार के जेलरवाला बाग में जेजे कॉलोनियों में रहने वाले 1093 घरों के लिए सर्वे हो चुका है। यहां 1675 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बनकर तैयार हैं। हर फ्लैट का साइज 400 स्क्वायर फुट है। करीब 421.81 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में लाभार्थी को फ्लैट्स के लिए 171000 रुपये देने होंगे। हर फ्लैट पर करीब 24 लाख रुपये की सब्सिडी मिल रही है। फ्लैट्स में दो कमरे, एक किचन, एक बाथरूम, एक टॉयलेट और बालकनी शामिल है। हर टावर की आठवीं मंजिल पर ओपन रिक्रिएशनल स्पेस है। टावर सी में कम्युनिटी सुविधाएं जैसे कम्युनिटी हॉल, 4 दुकानें, आंगनवाड़ी, क्लासरूम, डॉक्टर क्लिनिक, चिल्ड्रन डे केयर आदि हैं। हर टावर में लिफ्ट है। इसके अलावा 11024 बेसमेंट पार्किंग एरिया है। सरफेस पार्किंग भी है।

वहीं सबसे पहले शुरू हुए कठपुतली कॉलोनी के 2800 फ्लैट्स भी दिसंबर में बनकर तैयार हो जाएंगे। पूरे प्लॉट में बिल्डर 60 प्रतिशत जगह में फ्लैट बनाएगा और बाकी 40 प्रतिशत एरिया में वह कमर्शल गतिविधि चलाकर प्रोजेक्ट की कीमत वसूलेगा। कठपुतली कॉलोनी प्रोजेक्ट करीब 15 साल पुराना है।

कालकाजी इलाके में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को मिले ये फ्लैट

होगा अपना घर

- दिसंबर तक कठपुतली कॉलोनी में भी 2800 फ्लैट्स होंगे तैयार
- डीडीए की जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत मिलेंगे फ्लैट्स

क्या है इन सीटू पुनर्वास योजना

2011 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक, 10.63 प्रतिशत लोग स्लम में रहते हैं और ये 0.5 प्रतिशत एरिया में रहते हैं। डीयूएसआईबी (दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड) के सर्वे के अनुसार, राजधानी में 675 जेजे क्लस्टर की पहचान की गई है। इनमें से 376 जेजे क्लस्टर के लिए डीडीए इन सीटू पुनर्वास योजना चला रहा है। यानी इन लोगों के लिए पक्के घरों की व्यवस्था की जा रही है।

अनुमान के मुताबिक, इन 376 क्लस्टर में 1.72 लाख परिवार रहते हैं। इनके लिए ए-14 कालकाजी एक्सटेंशन, जेलरवाला बाग, अशोक विहार और कठपुतली कॉलोनी शादीपुर में फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। कालकाजी एक्सटेंशन में बन रहे फ्लैट्स पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा 18 स्लम क्लस्टर के लिए विभिन्न जगहों पर 22772 फ्लैट्स बनाने की योजना तैयार हो चुकी है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 13 जून 2023 PAPERS

इमरजेंसी में सोसायटियों में कैसे पहुंचे फायर ब्रिगेड

पार्किंग स्पेस कम होने से बढ़ीं मुश्किलें

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

9 जून की शाम द्वारका सेक्टर-10 के अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग से बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया गया कि जब दमकल की गाड़ी पहुंची तो उसे सोसायटी के अंदर जाने में इसलिए परेशानी हुई क्योंकि लोगों ने सड़कों पर गाड़ियां पार्क कर रखी थीं। ऐसे में अब सोसायटियों पर भी सवाल उठ रहे हैं।

द्वारका के अधिकांश अपार्टमेंट्स में अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं है। वहीं लोगों के पास एक से अधिक गाड़ियां हो गई हैं। घटना के दौरान वहां मौजूद ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन (एडीआरएफ) के प्रेजिडेंट अजीत स्वामी ने बताया कि आग बुझाने वाली गाड़ी को सोसायटी के अंदर आने का रास्ता नहीं मिला। क्योंकि रास्ते पर गाड़ियां पार्क थीं। जब गाड़ी मालिकों को ढूंढा गया तो पता चला कि इनमें से कुछ बाहर गए हैं। उन्होंने बताया कि डीडीए के एफएआर बढ़ाने से कुछ सोसायटियों में एक्सटेंशन हुआ है। इनमें कुछ में ब्लॉक बन गए हैं तो कुछ में टावर। इसकी वजह से पार्किंग की जगह कम हुई है। गाड़ियां भी बढ़ गई हैं। ऐसे में यह निश्चित किया जाए कि हर समय सोसायटी के अंदर छह मीटर चौड़ी और नौ मीटर टर्निंग सर्कल रेडियस की जगह मूवमेंट के लिए खाली रहे। साथ ही सोसायटी अपने फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम का भी पूरा ख्याल रखें। उन्होंने फायर डिपार्टमेंट से सोसायटियों को इसके बारे में बताने और जांच करने की अपील की है।

NBT नज़रिया

हर तरह के कंस्ट्रक्शन की निगरानी करने वाली एमसीडी और डीडीए जैसी एजेंसियों की अनदेखी के कारण ऐसी स्थिति पैदा होती है। कई बार ऐसा स्थानीय स्तर के अधिकारियों और इंजीनियरों की मिलीभगत से होता है। सीनियर अफसरों को इसे देखना चाहिए। नहीं तो ऐसी घटनाओं और हादसों को रोका नहीं जा सकेगा।

Hindustan Times

DMRC removes squatters from near 3 stations

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) on Monday said it has started an encroachment removal drive outside the Lal Quila and Chandni Chowk Metro stations.

The drive will continue till June 17, wherein encroachments such as street vendors, rickshaws, street carts and other unauthorised establishments will be removed from outside the Metro premises, officials said, adding that these drives will be extended to other stations as well.

Officials said that the drive would make it easier for commuters to navigate their way to the Metro stations. "This drive is being taken up to mitigate these inconveniences. DMRC also keeps writing about these issues to the agencies concerned from time to time," said Anuj Dayal, principal executive director, corporate communications at DMRC, adding that the other agencies involved included the Municipal Corporation of Delhi (MCD), New Delhi Municipal Council (NDMC), Delhi Development Authority (DDA) and the Delhi Police.

DMRC said the drive was being conducted at gate number 1 and 2 of the Lal Quila Metro station and outside gate number 5 of the Chandni Chowk Metro station, areas where encroachments have become particularly rampant.

"Such special drives will also be undertaken for passenger convenience at other Metro stations in the days ahead," Dayal added, stating the DMRC was constantly identifying such Metro stations.

हिन्दुस्तान

चांदनी चौक के पास से अतिक्रमण हटाया

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने सोमवार को लाल किला और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशनों के बाहर लगे अतिक्रमण हटवाया। डीएमआरसी ने एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए और दिल्ली पुलिस जैसी कई अन्य संबंधित एजेंसियों के सहयोग से 17 जून तक मेट्रो स्टेशनों के बाहर लगे अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू किया है। दरअसल, मेट्रो स्टेशनों के बाहर अतिक्रमण से इन स्थानों पर यात्रियों को काफी असुविधा होती है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPERS----- NEW DELHI | TUESDAY, 13 JUNE, 2023

DMRC begins encroachment drive at Lal Quila and Chandni Chowk Metro stations

DEVANSHI MEHTA

NEW DELHI: The Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) began an encroachment removal drive to enhance the commuting experience of Metro passengers.

Commuters will soon have a seamless experience while entering or exiting the Metro stations at Lal Quila and Chandni Chowk Metro stations.

The DMRC has collaborated with several agencies — MCD, NDMC, DDA, and Delhi Police — to ensure the success of the drive. The joint efforts of the agencies will pave the way for a seamless and convenient travel experience for metro users.

The ongoing drive will continue till June 17, 2023, and it aims to address the persistent issue of encroachments, such as selling carts (rehris), unauthorised vendors, rickshaws, and other establishments that obstruct passenger pathways outside Metro stations.

The encroachment removal drive is focused on gate no. 1 & 2 of the Lal Quila Metro station and gate no. 5 at Chandni Chowk Metro stations where dedicated teams are working on a daily basis to clear the areas from encroachments. The success of the drive will encourage similar initiatives at other Metro stations, ensuring passenger convenience and a pleasant commuting experience across the entire network.

The DMRC has demonstrated an unwavering commitment to cleanliness, hygiene, and disciplined commuter behaviour within the Delhi Metro premises. In line with this commitment, encroachment removal drives have been organized to extend these standards beyond the stations, ensuring that the areas surrounding the Metro stations are also free from any form of encroachments.

Last month, a similar initiative was carried out at 11 Metro stations throughout the city, aimed at clearing pedestrian pathways. The DMRC emphasised the importance of cleanliness and hygiene within the Metro stations during these earlier drives. However, the focus has now extended to encompass the surrounding areas, as the DMRC endeavours to maintain cleanliness and hygiene both inside and outside the metro stations. Also with the ongoing construction of 28 kilometres of new underground corridors, the Phase IV expansion project undertaken by the DMRC and now this initiative marks a significant leap forward in the growth and development of Delhi's metro network.

11

पंजाब केसरी
DELHI ▶ 13 जून, 2023 ▶ मंगलवार

डीएमआरसी ने किया मेट्रो स्टेशन से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : मेट्रो स्टेशनों में प्रवेश करने और बाहर निकलने के दौरान मेट्रो यात्रियों के लिए होने वाली परेशानियों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) ने लाल किला और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशनों पर व्यापक अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया। एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए और दिल्ली पुलिस जैसी कई अन्य संबंधित एजेंसियों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा यह अभियान 17 जून तक जारी रहेगा। डीएमआरसी प्रवक्ता अनुज दयाल ने बताया कि यह देखा गया है कि मेट्रो स्टेशनों के बाहर ठेले (रेहड़ी), विक्रेता, रिक्शा और अन्य अनधिकृत प्रतिष्ठानों को बेचने जैसे अतिक्रमण से इन स्थानों पर यात्रियों को असुविधा होती है। इन्हीं असुविधाओं को दूर करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। डीएमआरसी समय-समय पर संबंधित एजेंसियों को इन मुद्दों के बारे में लेटर लिखर सूचित करते भी रहता है।

उन्होंने बताया कि यह विशेष अतिक्रमण हटाने का अभियान 17 जून, 2023 तक दैनिक आधार पर लाल किला के गेट नंबर 1 और 2 और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशनों के गेट नंबर 5 पर चलाया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए इस तरह के विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। आने वाले दिनों में अन्य मेट्रो स्टेशनों पर भी यह अभियान चलाया जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWS नई दिल्ली। मंगलवार • 13 जून • 2023
सहारा

लाल किला व चांदनी चौक मेट्रो स्टेशनों के आसपास अतिक्रमण हटाया

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

सितम्बर माह में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के मद्देनजर डीएमआरसी ने विभिन्न मेट्रो स्टेशनों के पास से अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया है। सोमवार को डीएमआरसी ने लाल किला और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशनों के गेट नंबर 5 से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया है जो एक हफ्ते यानी 17 जून तक चलेगा।

अधिकारियों ने बताया कि घनी आबादी वाले इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर निगम, एनडीएमसी, डीडीए और दिल्ली पुलिस भी शामिल रहेगी। अगले कुछ दिनों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों को मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो। अधिकारियों ने कहा कि यह देखा गया है कि मेट्रो स्टेशनों के बाहर रेहड़ी पटरी वालों के अलावा रिक्शा, ऑटो रिक्शा वाले खड़े रहते हैं जिसकी वजह से मेट्रो यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में डीएमआरसी ने इन असुविधाओं को कम करने के लिए यह अभियान शुरू किया है।

अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में अन्य दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर भी

■ जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर डीएमआरसी ने शुरू किया अभियान

यात्रियों की सुविधा के लिए इस तरह के विशेष अभियान चलाए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में 9-10 सितंबर को जी 20 समिट होनी है। अधिकारियों ने बताया कि मई में भी डीएमआरसी ने 11 मेट्रो स्टेशनों पर विक्रेताओं, ई-रिक्शा, ऑटो-रिक्शा आदि की वजह से लगने वाले जाम की समस्या को दूर करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया था।

सहारा

प्रशासन की लापरवाही से कई वर्षों से धूल फांक रहा बारातघर

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली पंचायत संघ ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मांग की है कि भटस्वां गांव में चार-पांच वर्ष पहले बने बारात घर को ग्रामीणों को सौंपा जाए। यह बारातघर चार-पांच साल से बंद रहने की वजह से धूल फांक रहा है। इसके खुल जाने के बाद गांव वाले इसमें सांस्कृतिक व मांगलिक कार्य आयोजित कर सकेंगे।

पंचायत संघ प्रमुख थानसिंह यादव ने कहा कि इस बारात घर वर्ष 2020 में डीडीए को स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बंद रहने पर जब पूछा गया तो डीडीए अधिकारियों ने जवाब दिया कि हमें इसकी चाबी ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इस बारातघर को नुकसान दिल्ली सरकार व दिल्ली विकास प्राधिकरण की लापरवाही के कारण हो रहा है। इसके निर्माण में जो पैसा लगा था, वह भी भटस्वां गांव की ग्रामसभा भूमि का था।

अमर उजाला

डीएमआरसी का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की ओर से लाल किला व चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया।

सितंबर में होने वाली जी-20 शिखर सम्मेलन बैठक को देखते हुए यह अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिस भी मेट्रो स्टेशन के आस-पास अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है। डीएमआरसी ने बताया कि इस अभियान में दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी, दिल्ली विकास

लाल किला व चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास से हटाया अतिक्रमण

प्राधिकरण और दिल्ली पुलिस भी शामिल है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों को मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो। सोमवार को लाल किला मेट्रो स्टेशन के एक और दो व चांदनी चौक मेट्रो स्टेशनों के गेट नंबर 5 के आस-पास से अतिक्रमण हटाया गया। डीएमआरसी के अधिकारी ने बताया कि यह अभियान 17 जून तक चलेगा। ब्यूरो

दैनिक भास्कर

लाल किला मेट्रो स्टेशन पर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान

नई दिल्ली | राजधानी सितंबर में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी। तैयारियों के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने मेट्रो स्टेशनों पर अतिक्रमण रोधी अभियान शुरू किया है। डीएमआरसी ने सोमवार को लाल किला और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशनों के आसपास व्यापक अभियान शुरू किया। अधिकारियों के मुताबिक ये अभियान सप्ताह भर चलेगा। अभियान के दौरान एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए और दिल्ली पुलिस शामिल रहेगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NAME OF NEWSPAPER NEW DELHI I TUESDAY I JUNE 13, 2023

Anti-encroachment drive near metro stations ahead of G20

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Authorities have begun a special anti-encroachment near various metro stations as the national capital prepares to host the G20 summit in September. On Monday, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) started a comprehensive week-long drive in areas abutting Lal Quila and Chandni Chowk metro stations, officials said.

The multi-agency drive in the densely populated areas involves the Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Council (NDMC), Delhi Development Authority and Delhi Police, and will be staggered over next few days to ensure commuters do not face any hassle in accessing metro stations, they said.

The drive near gate no. 1 and 2 of the Lal Quila metro station and gate no 5 of Chandni Chowk metro stations began on Monday and will be conducted daily till June 17, 2023.

It has been observed that encroachments by parking of selling carts ('rehris'), vending objects, rickshaws, and other unauthorised establishments outside metro stations cause inconvenience to passengers at these locations. This drive is being taken up to mitigate these inconveniences, the DMRC said. It said it also keeps writing to agencies concerned about these issues from time to time.

Such special drives will also be undertaken for passenger convenience at other Delhi Metro stations in the days ahead, the officials said.

In May also, the DMRC had undertaken a special drive at 11 metro stations to clear pedestrian pathways of vendors, encroachers, and unauthorised hindrance caused by movement of e-rickshaws, auto-rickshaws and others. The DMRC has accorded a lot of focus on maintaining cleanliness, hygiene and disciplined commuter behaviour inside the Delhi Metro premises, the official said.

These drives are now being organised to ensure that the areas outside the stations are also free from any form of encroachments, he said. Several other agencies in Delhi have also been undertaking anti-encroachment drives as part of a larger plan to spruce up the city for the mega G20 event in September.